

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चन्दौली।

नगर विकास/अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 05 दिसंबर, 2024

विषय:- जनपद-चन्दौली के ग्राम रौना परगना मवई तहसील पं0 दीद0उपा0 नगर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) निर्माण के लिए भूमि क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्र संख्या-जी0-4/012-272(38)/2024 दिनांक 18.05.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-चन्दौली के ग्राम रौना परगना मवई तहसील पं0 दीद0उपा0 नगर में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) निर्माण के लिए भूमि क्रय किये जाने के संबंध में रू० 3,57,48,150 (रुपये तीन करोड़ सत्तावन लाख अड़तालीस हजार एक सौ पचास मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- (2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (3) स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- (4) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31.03.2025 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
- (5) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04-मार्च, 2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,57,48,150 (रुपये तीन करोड़ सत्तावन लाख अड़तालीस हजार एक सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217058001000 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु भूमि के क्रय हेतु अनुदान मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।


3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय जाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-456/2024/2302/नौ-5-2024/001-Comp. No. 1858864, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3-राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4-मण्डलायुक्त, वाराणसी।
- 5-निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 6-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण/नगरीय), लखनऊ।
- 7-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 8- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 9- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, (नगरीय), लखनऊ।
- 10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 11- वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 12- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली।
- 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
- 14- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 15- गार्ड फाईल/कम्यू यं टर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-05/12/2024

प्रेषण संख्या:- 456
आवंटन आदेश संख्या:- 001-456-2024-2302-9-5-2024-001-CN-1858864
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - अन्य शहरी विकास योजनाये
800 - अन्य व्यय
10 - नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु भूमि के क्रय हेतु अनुदान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	चन्दौली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	35748150 35748150	35748150 35748150
	योग	वर्तमान प्रगामी	35748150 35748150	35748150 35748150

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ सत्तावन लाख अड़तालीस हजार एक सौ पचास
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ सत्तावन लाख अड़तालीस हजार एक सौ पचास


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव